



दिनांक 20.08.2026

JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली जालौन पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त रमाकान्त तिवारी पुत्र महाबली तिवारी निवासी ग्राम बरहल थाना कैलिया जनपद जालौन के विरुद्ध कोतवाली जालौन पर मु०अ०सं० 189/23 धारा 376/328 भादवि व 3(2)v एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व कोतवाली जालौन पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय एडीजे/एससी/एसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त रमाकान्त तिवारी उपरोक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री रणकेन्द्र भदौरिया
ADGC



प्र०नि० मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



हे०का० सतेन्द्र राजपूत
कोर्ट पैरोकार



का० आशीष तिवारी
कोर्ट मुहरीर

jalaunpolice

